राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

कमांक प. 12 (6)/शिक्षा–5/आरटीई/2014 जयपुर दिनांक 03-11-15

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015–16 में प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों के कम में ।

सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्याक पत्र दिनांक 18.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.09.2015 द्वारा [illegible] समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2015 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन के कार्यकम में संशोधन किया गया था । इस कम में निर्देशानुसार निम्नानुसार पुनः संशोधन एतद द्वारा किया जाता है :–

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यकम	पूर्व निर्धारित तिथियॉ	नई निर्धारित तिथियां
1.	विद्यालययों में भौतिक सत्यापन कार्य	12.10.2015 तक	21.11.2015 तक
2.	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	17.10.2015 तक	24.11.2015 तक
3.	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	20.10.2015 तक	30.11.2015 तक

भवदीय,

(नसीरूद्दीन कुरैशी)
व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/निशुल्क प्रवेश/18878/15–16/149 दिनांक– 05-11-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा कार्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित कराने का श्रम करावें ।
4. श्री विनोद जैन, साइंटिस्ट (ग्रुप–डी), NIC, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ।
5. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि मंडल के अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) शिक्षा कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारीयों से टाईम फ्रेम के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा टाईम फ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करावें ।

(अजित सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर